मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी, 2003 (फाल्गुन 1, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्र. ए-5-4-2000-विक-पांच (63), दिनांक 15 मई, 2002 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश लोक-आयुक्त एवं उप लोक-आयुक्त अधिनियम, 1981 की धारा 17 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-1-2000-एक-10, दिनांक 13 जनवरी, 2003 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, जबलपुर जिले के बेलखेड़ा थानांतर्गत पुलिस प्रताड़ना से दुखी होकर एक छात्र द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के मंडीबामौरा कस्बे में पुलिस द्वारा निर्दोष नागरिकों के साथ मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 1 घन्टा

श्री सत्येन्द्र पाठक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सीमेंट अपमिश्रण निवारण (निरसन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 1 सन् 2003) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 19 फरवरी, 2003

डॉ.ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.